SPRING AND RIVER REJUVENATION AUTHORITY (UTTARAKHAND)

स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेषन प्राधिकरण (SARRA)

इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून

फोन : 0135-2768712, 0135-2760170

ईमेल : sarrauttarakhand@gmai.com

वेब : www.umduk.gov.in

उद्देश्य

Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA) का उद्देश्य राज्य के विभिन्न जल स्रोतों, छोटी-बड़ी नदियों, जलाशयों, तालाबों आदि के चिन्हीकरण, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा आधारित नदियों के चिरस्थायी प्रवाह, जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण/रिजुवेनेशन, जल उत्सर्जन में वृद्धि-मापन एवं अनुश्रवण, आदि हेतु स्थानीय जन सहभागिता से उपचार करते हुए सतत् उपयोग सुनिश्चित करना है। सारा द्वारा सत्पादित किये जाने वाले कार्य निम्नवत हैं।

आंकलन

- जल उपलब्धता, गुणवत्ता, नौलों/धारों तथा लधु सरिताओं के जल प्रवाह दर तथा जनसंख्या निर्भरता को देखते हुए स्रोतों के जल उत्सर्जन में कमी के प्रमुख कारकों को चिन्हित करते हुए जल स्रोतों एवं नदियों का मैप (Atlas) तैयार किया जायेगा। वर्षा जल संग्रह हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी आधार पर खाल-खंतियों व चेकडैमों आदि के माध्यम से स्प्रिंग एवं नदियों का प्राथमिकता के आधार पर पुनरुद्धार / उपचार किया जायेगा।

नियोजन एवं वित्त पोषण

जनपद स्तर पर विभिन्न विभाग / कार्यदायी संस्थाएं वर्षा जल संग्रहण तकनीकों व चेकडैमों आदि के माध्यम से पुनरुद्धार योजनाओं का निर्माण करेंगी, जो सामान्यत: तीन से पांच वर्ष के लिए निर्मित की जायेंगी। जनपद स्तर पर योजनाओं के निर्माण हेतु District / State SARRA Center द्वारा आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की जायेगी। निर्मित कार्य योजनाओं का अनुमोदन जिला स्तर पर किये जाने के पश्चात राज्य स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।

क्रियान्वयन

नियोजन प्रक्रिया में चिन्हित किये गये विभिन्न जल स्रोतों व धारा/नौला, नदियों आदि हेतु निर्मित कार्य योजना/वर्षा जल संरक्षण एवं चेकडैम आदि निर्माण के लिये तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु SARRA द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात सम्बन्धित विभाग / कार्यदायी संस्था कार्ययोजना का क्रियान्वयन जन-सहभागिता के माध्यम से निर्धारित SOP के अनुरुप किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

SARRA द्वारा योजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु बाह्य मूल्यांकन एजेंसी का उपयोग किया जा सकता है। स्प्रिंग एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण द्वारा चिन्हित स्प्रिंग एवं नदियों के पुनरोद्धार कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत योजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु स्थलीय निरीक्षण तथा निर्मित Dash Board के माध्यम से नियमित मूल्यांकन किया जायेगा।

क्षमता विकास

राज्य, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा, जिसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी रुप से जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों को क्रियान्वित करने तथा सहभागी अनुरक्षण की अवधारणा को व्यापक रुप से अपनाये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

SARRA द्वारा सम्पादित की जाने वाली मुख्य गतिविधियां -

- Critical सूख रहे जल स्रोतों एवं सहायक नदियों/धाराओं का चिन्हीकरण।
- सूख रहे जल स्रोतों एवं नदियों/धाराओं के जल संग्रहण क्षेत्रों की पहचान।
- जल संग्रहण क्षेत्रों को उपचारित करने हेतु योजना निरूपण।
- जल स्रोत/सहायक नदियों/धाराओं का वर्तमान जल प्रवाह/स्राव का मापन।
- उपचार हेतु गतिविधियों का चिन्हीकरण।
- विभिन्न विभागों के अंतर्गत प्रस्तावित की गई जल संरक्षण/संर्वधन गतिविधियों का ब्वदअमतहमदबम एवं बजट व्यवस्था।
- उपचार गतिविधियों का कियान्वयन।
- उपचार कार्यों का प्रभाव मूल्यांकन।

वर्षा आधरित नदियों के उपचार हेतु प्राथमिकता निर्धारण करने हेतु प्रमुख बिन्दु

- ऐसी नदियां जिनमें प्राकृतिक रूप से जल स्राव/प्रवाह में विगत वर्षों में कमी परिलक्षित हुई हो।
- ऐसी नदियां जिनसे विभिन्न पेयजल योजना या सिंचाई योजना हेतु जल का उपयोग किया जा रहा हो और विगत 10 वर्षों में नदी के जल प्रवाह में कमी होने के कारण उक्त योजनाओं की क्षमता में विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो।
- नदियों की सहायक नदियों/नाले/धारों में जल उपलब्धता में कमी अथवा सूख जाना।
- ऐसी मुख्य नदियां व सहायक नदियां जिनके अन्तर्गत जन समुदाय की विभिन्न लाभकारी गतिवधियों हेतु विभिन्न क्षेत्रों में जल संचय की आवश्यकता हो परन्तु जल संचय न किया जा रहा हो।

जल संरक्षण अभियान 2025 के अन्तर्गत जन-भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इस वर्ष निम्न गतिविधियां क्रियान्वित की जायेंगी

➢ "भगीरथ मोबाईल एप" द्वारा विन्हिकरण

राज्यान्तर्गत जल संरक्षण अभियान में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर समुदाय की भागीदारी तथा सहयोग प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इस हेतु SARRA द्वारा "भगीरथ मोबाईल एप" विकसित किया गया है, जिसका प्रयोग समुदाय द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने ग्रामों में Critical जल स्रोतों के चिन्हीकरण हेतु किया जायेगा।

➢ क्षमता विकास

जल संरक्षण अभियान 2025 हेतु जल स्रोतों के उपचार हेतु क्षमता विकास किये जाने हेतु प्रथम चरण में 200 ग्राम पंचायतों हेतु क्षमता विकास कार्यशालाएं आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

➢ मा० जन प्रतिनिधियों द्वारा जन-भागीदारी

जनपद/विकासखण्ड/ग्राम स्तर पर मा0 जन प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में सम्बन्धित क्षेत्रों में उपचार के कार्यों में सहभागिता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है, जिससे कि आम जनमानस इस महत्वपूर्ण एवं सम–सामयिक अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी करते हुए, इसे सफल बनाने में अपना योगदान प्रदान कर सकें।

➢ व्यापक जन सहभागिता एवं प्रचार-प्रसार

- जनपद मुख्यालय तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों में जल संरक्षण जागरूकता रेलियों का आयोजन किया जाना।
- जनपद मुख्यालय तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों में जल संरक्षण सम्बन्धी प्रतियोगी पेन्टिंग प्रतियोगिता या अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाना तथा 05 विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाना।
- जनपद से 05 चयनित पेन्टिगं को राज्य स्तर पर चयन कर पुरस्कृत करने हेतु प्रेशित किया जायेगा।